

बिहार सरकार

कृषि विभाग

MAIL/FAX

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-15/2014-235(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक/3-2-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/ नालंदा / भोजपुर / बक्सर/रोहतास/भभुआ/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान /गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली /दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर /बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय :

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा एकीकृत बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब-1 एवं सहभागी धान बीज वितरण का वर्ष 2014-15 में 1565.0708 लाख (पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख सात हजार अस्सी) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 1299.0088 लाख (बारह करोड़ निनान्चे लाख आठ सौ अस्सी) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹11,13,77,117 (ग्यारह करोड़ तेरह लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ सत्तरह रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9/उपा/बीज विविध अनुदान -13 /2014-313 दिनांक-15.01.2015 द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा एकीकृत बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना, स्वर्णा सब-1 एवं सहभागी धान बीज वितरण का वर्ष 2014-15 में 1565.0708 लाख (पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख सात हजार अस्सी) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 1299.0088 लाख (बारह करोड़ निनान्चे लाख आठ सौ अस्सी) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹11,13,77,117 (ग्यारह करोड़ तेरह लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ सत्तरह रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹11,13,77,117 (ग्यारह करोड़ तेरह लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ सत्तरह रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष- 103-बीज, मांग संख्या-01, उपशीर्ष -0115 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401001030115, राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 5017 विषयशीर्ष-3301 सब्सिडी " के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

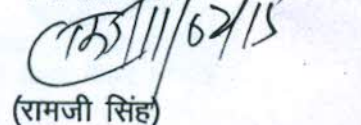
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-6720 वि. (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाषन



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

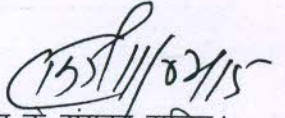
ज्ञापांक

235(भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 13-02-2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

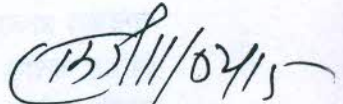

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

235(भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 13-02-2015

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/उप निदेशक (शष्प) फसल बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) पक्षेत्र बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) बीज बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

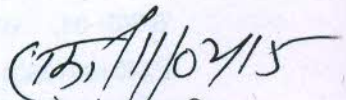
ज्ञापांक -

235(भावंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 13-02-2015

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

स्वीकृत्यादेश संख्या-313 दिनांक-15.01.2015 द्वारा सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा एकीकृत बीज ग्राम की समेकित राज्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401001030115

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	10,99,584	6,49,000
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	10,02,056	1,83,000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	11,62,800	9,46,000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	7,97,547	1,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	17,13,439	2,91,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	12,19,104	2,43,000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	40,378	40,378
8	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	5,50,748	2,94,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, अरबल	3,16,489	-
10	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	4,78,080	1,46,000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	16,97,184	-
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	16,79,017	-
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	-	-
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	13,95,994	-
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	-	-
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	-	-
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	-	-
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	5,97,600	-
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	-	-
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	-	-
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	-	-
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	10,67,075	-
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	-	-
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	9,08,352	-
25	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	7,17,120	64,000
26	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	3,34,656	-
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	2,15,136	1,75,000
28	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	14,39,977	-
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	10,99,584	8,93,000
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	15,29,856	66,000
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	4,51,308	-
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	-	-
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	-	-
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	-	-
35	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	-	-
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	7,09,471	-
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	-	-
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	2,92,585	-
39	कृषि निदेशक।	10,73,85,739	10,73,85,739
	कुल	12,99,00,879	11,13,77,117

कुल-(ग्यारह करोड़ तेरह लाख सत्तहत्तर हजार एक सौ सत्तरह रु० मात्र)।

सुमेध

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।